वी. रामास्वामी, सी.जे. और जी. आर. मजीठिया, जे.

किरण मंडल - अपीलकर्ता.

बनाम

मोहिनी मंडल, प्रतिवादी.

1985 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 856

10 मार्च 1989

हिन्दू विवाह अधिनियम (XXV of 1955)—धारा 13—क्रूरता–पत्नी द्वारा पति पर उसकी भाभी के साथ अवैध संबंधों का लगातार आरोप लगाना–ऐसे आरोप–क्या क्रूरता के रूप में माने जाते हैं।

निर्णय, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अर्थ में क्रूरता केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है बल्कि एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को पहुँचाये गए मानसिक यातना को भी शामिल करती है। पत्नी ने पति के लिए उसके साथ रहना असहनीय बना दिया था। कोई भी व्यक्ति जिसकी उचित आत्मसम्मान और सहनशक्ति हो, उसे ऐसी तानों वाली पत्नी के साथ रहना मुश्किल होगा जब ऐसी तानें वास्तव में अपमान और अवमानना हों। मानव स्वभाव जो है एक समझदार व्यक्ति की प्रतिक्रिया अपमान करने वाले पति या पत्नी के व्यवहार का परीक्षण है और लगातार आरोप और इल्जाम शारीरिक पीटाई से ज्यादा दर्द और दुःख पहुँचा सकते हैं। (पैरा 15)

पत्र पेटेंट अपील, पत्र पेटेंट की धारा X के तहत, माननीय श्री जस्टिस जी. सी. मिताल द्वारा 13 मार्च, 1985 को दिए गए निर्णय के खिलाफ, जिसमें लुधियाना के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा 29 नवंबर, 1983 को दिए गए निर्णय को पलटते हुए पति द्वारा दायर किए गए तलाक की याचिका को खारिज कर दिया गया।

दावा:–हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह के विघटन के लिए तलाक का डिक्री प्राप्त करने हेतु याचिका।

अपीलकर्ता स्वयं।

प्रतिवादी स्वयं।

निर्णय

जी. आर. माजिठिया, जे.

1) यह पत्र पेटेंट अपील, पत्र पेटेंट की धारा X के तहत, एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ निर्देशित है जिन्होंने अपील पर मुकदमे के न्यायाधीश के

निर्णय को पलटते हुए पति द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह के विघटन के लिए दायर की गई आवेदन को खारिज कर दिया।

2) पहले तथ्य: –

अपीलकर्ता-पति ने यह दावा किया कि प्रतिवादी-पत्नी ने उसके मित्रों और संबंधियों की उपस्थिति में उसे परेशान किया और इस प्रक्रिया में अपमान और गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग किया। उसके भाई के बेटे का मुंडन संस्कार लुधियाना में किया गया। पत्नी ने समारोह में शामिल होने के बजाय बॉम्बे चली गई और उसके समारोह में भाग न लेने से उसे शर्मिंदगी हुई। जनवरी 1980 में जब उसकी बहन की शादी हुई, पत्नी ने बहन और उसके दूल्हे को अपने बेडरूम में एक रात के लिए भी ठहरने नहीं दिया, जब उससे ऐसा करने के लिए पति के माता-पिता और पति ने आग्रह किया। अक्टूबर 1980 में, पति की माँ बीमार पड़ी और पत्नी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ तक नहीं की। नवंबर 1980 में, पति का भाई जो पहले सोनीपत में काम कर रहा था, दुबई में एक नौकरी ले लिया। उसकी पत्नी और बच्चे पति के माता-पिता के साथ लुधियाना में रहने आ गए। इससे पत्नी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने न केवल अपीलकर्ता के साथ झगड़ा किया, बल्कि बहू के साथ भी झगड़ा किया, यह इल्जाम लगाते हुए कि उनके बीच अवैध संबंध थे। इस घटना ने उसके माता-पिता को इतना दुखी किया कि उसके पिता गैस्ट्रिक अल्सर से और उसकी माँ हाइपरटेंशन से बीमार पड़ गए।

3) पत्नी ने उसके खिलाफ लगाए गए सभी महत्वपूर्ण आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि वास्तव में उसे पति और उसके माता-पिता द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उसके ससुर द्वारा। उसे पीटा गया और उसे पति द्वारा विवाहित घर से निकाल दिया गया। उसने आरोप लगाया कि जब उसके विवाहित घर से उसके पहले करवा चौथ के अवसर पर 500 रुपये प्राप्त हुए, तो उसे उसके ससुर द्वारा तिरस्कार के साथ व्यवहार किया गया; कि पति शराब के आदी हो गए और देर से घर आते थे और उसे मारते थे। उसने कहा कि एक मौके पर उसे पति और उसके माता-पिता द्वारा पीटा गया और उसे अपने संबंधी श्री सत ब्रत मोहिंद्रा के घर में शरण लेनी पड़ी। उसने कहा कि उसके विवाहित घर में उसके नए कपड़े और आभूषणों की मांग को अस्वीकार किया गया। उसने कहा कि उसके पति की बहन की शादी के मौके पर उसने परिवार की फोटो में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उचित रूप से तैयार नहीं थी और इसे अपमान और अवज्ञा के रूप में लिया गया। उसने तर्क दिया कि उसके पति द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार से उसके मन में यह उचित आशंका उत्पन्न हुई कि उसके साथ रहना उसके लिए चोटिल और हानिकारक होगा। उसने यह भी इनकार किया कि

पक्ष आखिरी बार लुधियाना में रहे थे और दावा किया कि इस अदालत को याचिका का परीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है।

4) पार्टियों के दावों से निम्नलिखित मुद्दे निर्धारित किए गए थे: —

   i. क्या प्रतिवादी पति के खिलाफ क्रूरता के लिए दोषी है, जैसा कि आरोप लगाया गया है?

   ii. क्या लुधियाना में अदालत को याचिका का परीक्षण करने का अधिकार नहीं था?

   iii. राहत।

5) जिन्होंने गवाहों के आचरण को देखने का अवसर प्राप्त किया था, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें सबसे छोटा संदेह नहीं था कि पत्नी ने विवाह के बाद पति के साथ क्रूरता की थी। मुद्दा संख्या 2 पति के पक्ष में पाया गया और यह निर्धारित किया गया कि लुधियाना में सिविल कोर्ट को याचिका का परीक्षण करने का अधिकार था। पति के पक्ष में तलाक का डिक्री दिया गया था।

6) इस निर्णय को अपील में चुनौती दी गई। एकल न्यायाधीश ने पति की दलील को नकारा और यह निर्धारित किया कि मामले में पेश किए गए सबूत दावों से परे थे और वह पति और उसके गवाहों के सबूतों पर भरोसा नहीं करेंगे और यह कि पति ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आरोप को साबित करने में दुखद रूप से असफल रहा है। एकल न्यायाधीश ने केवल एक गवाह पी.डब्ल्यू. 4 श्री मेला सिंह के बयान का विस्तार से उल्लेख किया और निर्धारित किया कि जिस घटना के बारे में गवाह ने गवाही दी थी, वह विशेष रूप से तलाक की याचिका में नहीं दावा की गई थी और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और गवाह को अविश्वास किया गया क्योंकि पत्नी ने इनकार किया था कि वह कभी उनके घर आया था।

7) इस मामले से निपटने से पहले, यह उपयोगी होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय को सर्जू प्रसाद रामदेव साहू बनाम ज्वालेश्वरी प्रताप नारायण सिंह और अन्य[1] मामले में पुनः प्रस्तुत करें। यह देखा गया कि जहाँ पर: –

   "निर्णय गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है, तब जब तक कि किसी विशेष गवाह के साक्ष्य में कुछ विशेष बात नहीं होती जो मुकदमे के न्यायाधीश की नजर से छूट गई हो या वहां पर्याप्त संभावना का असंतुलन हो जो उसके राय को जहाँ विश्वसनीयता निहित है, उसे बदल देता है, तो अपीलीय न्यायालय को तथ्यों के प्रश्न पर मुकदमे के न्यायाधीश के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

8) इस सावधानी के नियम का एकल न्यायाधीश ने मौखिक साक्ष्य की सराहना करते समय पालन नहीं किया। महत्वपूर्ण बिंदु जो निर्धारण की मांग करता है वह यह

[1] ए.आई.आर. 1951 एस.सी. 120.

है कि क्या पत्नी ने पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे; कि उसके अवैध संबंध उसके बड़े भाई की पत्नी के साथ थे। इस घटना के संबंध में याचिका में किए गए दावे को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा: –

नवंबर, 1980 में, याचिकाकर्ता के बड़े भाई शरद मंडल, जो एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोनीपत में उप रखरखाव इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, दुबई के लिए उच्च संभावनाओं की तलाश में गए। इसलिए उनकी पत्नी और 2 बेटे लुधियाना आ गए, याचिकाकर्ता के माता-पिता के साथ रहने के लिए, जब तक उन्हें याचिकाकर्ता के बड़े भाई के पास दुबई बुलाया जाना था। उनके लुधियाना आने का बहाना प्रतिवादी के लिए रोजाना झगड़े करने का हो गया, न केवल याचिकाकर्ता की भाभी (बहू) के साथ बल्कि याचिकाकर्ता के साथ भी, सार्वजनिक रूप से और झूठे ढंग से यह इल्जाम लगाते हुए कि याचिकाकर्ता के अवैध संबंध उसकी भाभी के साथ थे। ये सार्वजनिक और झूठे आरोप और ताने याचिकाकर्ता को उसके मित्रों और सहकर्मियों की नजरों में गिरा देते थे, और याचिकाकर्ता को मानसिक यातना पहुंचाते थे। इसके अलावा, प्रतिवादी के झगड़ों से घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि याचिकाकर्ता के माता-पिता स्थायी रूप से बीमार हो गए। याचिकाकर्ता की माँ को उच्च रक्तचाप की समस्या हो गई, जबकि पिता को पेट में गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। हालांकि दोनों का इलाज चल रहा है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा पैदा किया गया तनाव उनकी वसूली में हमेशा बाधा बना रहेगा।

9) उत्तर में, पत्नी ने आरोपों का खंडन किया और इस प्रकार कहा: –

"यह गलत है कि नवंबर, 1980 में, याचिकाकर्ता के बड़े भाई को दुबई जाना था और वादी और उसकी पत्नी याचिकाकर्ता के घर रहने आए थे और उनके साथ बदसलूकी की गई थी। यह गलत है कि याचिकाकर्ता को उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध होने के आरोपों से अपमानित किया गया था। यह भी गलत है कि याचिकाकर्ता के माता-पिता की बीमारी का कारण प्रतिवादी था, जैसा कि आरोप लगाया गया था। सभी आरोप झूठे हैं।

यह गलत है कि प्रतिवादी को 27 जून, 1981 को याचिकाकर्ता के पिता द्वारा बॉम्बे में उसके चाचा के घर भेजा गया था ताकि कथित रूप से तनावपूर्ण वातावरण को शांत किया जा सके जिसमें याचिकाकर्ता को कथित रूप से पद से इस्तीफा देने के लिए छोड़ दिया गया था। प्रतिवादी को पीटा गया था और तीन कपड़ों में याचिकाकर्ता द्वारा बाहर निकाल दिया गया था और उसे अपने संबंधियों के पास शरण लेनी पड़ी थी। वह अब भी इस यातना के बावजूद याचिकाकर्ता के साथ उसकी पत्नी के रूप में रहने को तैयार है और वह हिंदू महिला है और उसके पति के रूप में याचिकाकर्ता की पूजा करती है।"

10) नवंबर, 1980 की घटना पति के पिता श्री सत्य प्रकाश, पी.वी.वी. 8 से आई है। वह 65 वर्ष के हैं और वर्षों से बुद्धिमान एक सज्जन व्यक्ति हैं। एक बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति खुली अदालत में एक घटना के बारे में गवाही नहीं देगा जो उसके परिवार के सदस्यों को बदनाम करेगा जब तक कि वह सत्य न हो। सामाजिक उपहास और बदनामी के परिणामों के कारण ऐसे मामलों में एक व्यक्ति को संयम बरतने के लिए मजबूर किया जाएगा। यदि यह संयम नहीं बरता जाता है, तो यह उसे और उसके परिवार को एक दुखद, कुरूप और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में डाल देगा। अपीलकर्ता के पिता ने उस घटना का विवरण दिया जिसमें पति के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसके अवैध संबंध उसके भाई की पत्नी के साथ थे और मुकदमे के न्यायाधीश ने साक्ष्य के मूल्यांकन पर निष्कर्ष निकाला कि गवाह का बयान विश्वास करने योग्य है और वह सत्य कहने के लिए अदालत में आया था। इस तथ्य के बावजूद कि उसका खुलासा परिवार को उपहास का पात्र बनाएगा, उसने सत्य का खुलासा किया। एकल न्यायाधीश ने इस साक्ष्य को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया:-

> "इसके बाद नवंबर, 1980 में यह तथ्य आता है कि पति के भाई दुबई के लिए चले गए और उनकी पत्नी और दो बच्चे लुधियाना में माता-पिता के घर में रहने आए और उनकी उपस्थिति को पत्नी द्वारा रोजाना झगड़े करने और पति और उसके भाई की पत्नी के बीच अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाने का बहाना बनाया गया। इसलिए, रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों की थोड़ी सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। यह सच है कि जनवरी, 1980 में पत्नी द्वारा लगाए गए अवैध संबंधों के आरोप के बारे में पति के बयान का समर्थन उसके पिता के बयान से होता है लेकिन यह आरोप दावों में नहीं उठाया गया था। जनवरी, 1980 की घटना के बारे में सभी संभावित विवरण सामने आए थे लेकिन यह तथ्य स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इसलिए, पति और उसके पिता ने जनवरी, 1980 में पत्नी द्वारा पति और उसके भाई की पत्नी के बीच अवैध संबंधों के आरोप लगाने के बारे में झूठे बयान दिए हैं।"

11) एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त टिप्पणियाँ करके गलती की है। नवंबर, 1980 की घटना का विवरण तलाक की याचिका में दिया गया था; पत्नी ने इन आरोपों को इस आधार पर खारिज किया कि ये झूठे हैं। आरोपों के साक्ष्य में पति ने अपने पिता को पीडब्ल्यू '8' के रूप में परीक्षित किया। इस गवाह के बयान को विस्तार से पुनः प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होगा:-

> "शादी के कुछ दिनों के बाद मेरे दामाद और मेरी बेटी हमें मिलने आए। इस अवधि के दौरान पार्टियाँ हमारे साथ थीं और मैंने उन्हें मेरे घर में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ बेडरूम आवंटित किया था। जब मेरे दामाद और मेरी बेटी आए। मैंने उन्हें किसी अन्य बेडरूम में जाने का अनुरोध किया। प्रतिवादी ने इसे अपमान

समझा। जब मैंने उन्हें अन्य बेडरूम में जाने का अनुरोध किया जो मेरे बड़े बेटे और उसकी पत्नी कुशम द्वारा कब्जा किया गया था। प्रतिवादी ने तुरंत अपने पति की ओर इशारा करते हुए फूट पड़ा। वह अपनी भाभी के साथ सोने का आदी है क्योंकि उसके उसके साथ अवैध संबंध हैं। उसने यह भी कहा "मैं मिठाई के लिए अलग से तैयार किए गए कमरे में सोना पसंद करूंगी बजाय उस कमरे में सोने के।" प्रतिवादी ने तब अपने पति को डांटा कहते हुए "तुम नपुंसक हो। तुममें अपने माता-पिता के सामने बेडरूम खाली करने से इनकार करने का साहस नहीं था।" प्रतिवादी और याचिकाकर्ता ने तीखे शब्दों का आदान-प्रदान किया।

अगले दिन मेरे दामाद ने परिवार की तस्वीर लेने की इच्छा जताई। मैंने याचिकाकर्ता से प्रतिवादी को हमारे परिवार के साथ शामिल होने के लिए बुलाने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने मुझे बताया कि प्रतिवादी हमारे परिवार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए राजी नहीं थी। उसने उसके कहने का हवाला दिया "यह मेरी गरिमा के नीचे है कि मैं खुद को हमारे परिवार के साथ फोटोग्राफ करवाऊं।" वह फोटोग्राफ में शामिल नहीं हुई। उसने मुझसे कहा कि वह हमारे परिवार में नहीं रहना चाहती है। मुझे बताने के बाद कि वह अपने चाचा बिहारी लाल सूद के साथ रहना चाहती है। वह अपने बेटे विशाल और मेरे द्वारा प्रदान किए गए एक सेवक राहुल के साथ चली गई। वहां से वह बॉम्बे चली गई।"

इस गवाह के बयान कि प्रतिवादी ने उसे सूचित किया था कि उसके पति के उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध थे, को क्रॉस-परीक्षण में चुनौती नहीं दी गई। क्रॉस-परीक्षण में उससे पूछा गया था कि क्या वह आहत महसूस करते हैं जब प्रतिवादी-पत्नी ने विवाह के बाद उसके दामाद के दौरे पर आने पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खुद की फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया था। गवाह ने उत्तर दिया कि वह एक बड़े व्यक्ति हैं और उन्होंने प्रतिवादी को एक बच्चे की तरह देखा और उन्हें आहत महसूस नहीं हुआ। इस गवाह के बयान से कोई भी संदेह की छाया नहीं रहती कि वह एक परिपक्व व्यक्ति हैं। उन्होंने मामूली बातों पर आहत महसूस नहीं किया, लेकिन तथ्य यह है कि प्रतिवादी ने अपने पति के खिलाफ इशारा किया कि उसके अवैध संबंध, उसके भाई की पत्नी के साथ थे, जिससे उसे और उसके माता-पिता को चोट पहुंची। पति ने नवंबर की घटना के बारे में अपने शपथ पत्र में निम्नलिखित कहा: –

"मेरा अब सिर्फ एक भाई दुबई में है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेरी बहन की शादी में भाग लिया। वह सोनीपत से शादी में भाग लेने आया था। वह मुझसे बड़ा है और उसकी पत्नी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया। उसके बाद जब मेरी बहन और उसके पति पहली बार हमसे मिलने आने वाले थे, मैंने अपने भाई की पत्नी द्वारा दिखाई गई जिम्मेदारी के भाव का

> उल्लेख किया और उससे कहा कि हमें नए जोड़े के लिए अपना बेडरूम खाली करना चाहिए। प्रतिवादी ने मुझ पर अपने भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। मेरे पिता भी उस समय मौजूद थे और उन्हें प्रतिवादी की टिप्पणियों से बहुत दुख हुआ। मेरे पिता भी चाहते थे कि हमारा बेडरूम नए जोड़े के लिए खाली किया जाए जिस पर प्रतिवादी ने मुझे 'हिजड़ा' (नपुंसक) और मेरे माता-पिता का गुलाम कहा। मेरे माता-पिता, भाई और उसकी पत्नी भी उस अवसर पर मौजूद थे और उन्होंने हस्तक्षेप किया और प्रतिवादी से खुद को संयमित करने का अनुरोध किया।

उन्हें लंबे समय तक क्रॉस-परीक्षण के अधीन किया गया, लेकिन क्रॉस-परीक्षण में उनके बयान को अविश्वसनीय बनाने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया। उनके क्रॉस-परीक्षण में उन्होंने दोहराया कि पत्नी ने उन पर अपने भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का दो बार आरोप लगाया था। इस साक्ष्य को पी.डब्ल्यू. 4 श्री मेला सिंह गिल के बयान से पुष्टि मिलती है जो बिजली विभाग में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और पति के सहयोगी हैं। उन्होंने बयान दिया कि वह 15 जून, 1981 को मासिक बैठक में भाग लेने के लिए लुधियाना आए थे और वहां रात भर रुकना पड़ा। उन्हें पति ने अपने निवास पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था और पति की भाभी ने उन्हें खाना परोसा। जब वे डाइनिंग टेबल की ओर जा रहे थे, प्रतिवादी आई और पति के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग किया और निम्नलिखित कहा: –

> "उसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे और या तो वह या याचिकाकर्ता की भाभी घर में रहेगी। प्रतिवादी ने हमें खाना नहीं खाने दिया। याचिकाकर्ता के पिता भी उसके द्वारा पैदा की गई अशांति से आकर्षित हुए। जब विवाद बढ़ गया, मैंने घर छोड़ दिया। इसके लगभग दस दिनों के बाद मैं फिर से लुधियाना आया और उससे कार्यालय में मिला। याचिकाकर्ता उस घटना को लेकर शर्मिंदा और परेशान महसूस कर रहा था। इस गवाह के साक्ष्य से पति के संस्करण की पुष्टि होती है कि पत्नी ने उस पर अपने भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। एकल न्यायाधीश ने इस गवाह के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज करने में उचित नहीं थे कि यह नहीं बताया गया था कि इस गवाह को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था और पत्नी ने उसकी यात्रा के दौरान इस इशारा किया था और पत्नी ने इनकार किया था कि उसे यह गवाह पता था और उसने उससे मुलाकात नहीं की थी। , 15 जून, 1981 की घटना की पुष्टि श्री मेला सिंह के साक्ष्य से होती है। यह सही है कि इस घटना का दावों में उल्लेख नहीं है, लेकिन यह पति के संस्करण को पुष्ट करता है कि पत्नी उस पर अपने भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के आरोप लगा रही थी।"

12) राम निवास और अन्य बनाम राकेश कुमार और अन्य[2] मामले में, इस अदालत की एक डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार फैसला दिया था: –

> "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि पक्षकार जानते हैं कि एक मामले में एक बिंदु उठता है और वे इस पर सबूत प्रस्तुत करते हैं, हालांकि यह दावों में स्थान नहीं पाता है और इस पर कोई विशेष मुद्दा नहीं बनाया गया है, तो भी अदालत उस पर निर्णय ले सकती है। किसी भी पक्षकार को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि अदालत इस मामले का निर्णय नहीं कर सकती क्योंकि यह दावों में उठाया नहीं गया था।"

13) पत्नी पति द्वारा लिए गए दलील से अवगत थी और उसे गवाहों को क्रॉस-परीक्षण करने का पर्याप्त अवसर था। इन परिस्थितियों में, पी.डब्ल्यू. 4 श्री मेला सिंह गिल– एक जिम्मेदार अधिकारी के बयान को खारिज करना कठिन है। बयान में सत्यता की झलक है और केवल इस आधार पर उसे अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि वह पति का सहयोगी है। प्रतिवादी द्वारा अपनी सास को लिखे गए पत्र, एक्स. पी/-1; श्री अमर कुमार, प्रतिवादी के चाचा और अभिभावक द्वारा पति के पिता को लिखे गए पत्र, प्रदर्शनी P-2; और श्री केवल कुमार, प्रतिवादी के एक और चाचा द्वारा पति के पिता को लिखे गए पत्र, प्रदर्शनी-5 से P-8 का उल्लेख करना उपयोगी होगा। पत्र प्रदर्शनी P-2 में अमर कुमार लिखते हैं कि मोहिनी एक उतावली बच्ची है। जब वह गुस्से और क्रोध के झोंके में होती है, तो वह नहीं जानती कि वह क्या बोल रही है। श्री अमर कुमार ने पति के पिता को एक समझौता करने वाला पत्र लिखा था। उन्होंने यह भी कहा कि "यह मूर्ख लड़की वास्तव में वह नहीं समझती है जो वह गर्मी के क्षण में कहती है।" केवल कुमार ने अपने पत्र में, दिनांक 10 मार्च, 1980, लिखा "मोहिनी आपकी बेटी नीलम की शादी में आपकी अवज्ञा करने का अफसोस करती है।" उनके पत्र में, दिनांक: 7 मई, 1980, केवल कुमार लिखते हैं, "आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रिय मोहिनी इतनी सुधार चुकी है कि उसके खिलाफ अत्यधिक गुस्से और अहंकार आदि की शिकायतों का कोई मौका नहीं रहेगा।"

14) दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि प्रतिवादी एक खराब स्वभाव वाली महिला है। अपने लिखित बयान में उसने पति और उसके माता-पिता द्वारा उसके साथ क्रूरता का आरोप लगाने में संकोच नहीं किया है। हम पाते हैं कि लिखित बयान में लिया गया दावा झूठा है। 24 अप्रैल, 1980 को पत्नी ने अपनी सास को संबोधित पत्र, प्रदर्शनी पी-1 में, उसे इतने प्यार से व्यवहार करने के लिए प्रशंसा की और उसने पति के माता-पिता को उनके अच्छे आचरण के लिए शानदार प्रशंसा की। यहां तक कि 10 मार्च, 1980 को दिनांकित पत्र, प्रदर्शनी पी-5 में, प्रतिवादी के चाचा

---

[2] 1982 पी.एल.आर. 9

ने अपीलकर्ता के पिता को लिखा कि प्रतिवादी उसकी बेटी की शादी के समय अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमाप्रार्थी थी। दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी वह है जो पति और उसके माता-पिता के खिलाफ बहुत ही जंगली आरोप लगाती है जिसके लिए वह और उसके संबंधी बाद में पछताते हैं। उसने अपने पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए कि उसके अपने भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। इन झूठे आरोपों ने पति पर चोटिल प्रभाव डाला।

15) हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अर्थ में क्रूरता केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है बल्कि एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को पहुँचाये गए मानसिक यातना को भी शामिल करती है। पत्नी ने पति के लिए उसके साथ रहना असहनीय बना दिया था। कोई भी व्यक्ति जिसकी उचित आत्मसम्मान और सहनशक्ति हो, उसे ऐसी तानों वाली पत्नी के साथ रहना मुश्किल होगा जब ऐसी तानें वास्तव में अपमान और अवमानना हों। मानव स्वभाव जो है, एक समझदार व्यक्ति की प्रतिक्रिया अपमान करने वाले पति या पत्नी के व्यवहार का परीक्षण है और लगातार आरोप और इल्जाम शारीरिक पीटाई से ज्यादा दर्द और दुःख पहुँचा सकते हैं। डॉ. केशवराम कृष्णजी लोंढे बनाम श्रीमती निशा लोंढे[3] में, हमने हाल ही में क्रूरता के फॉर्मूलेशन का वर्णन किया है और हम कानून पर वहां किए गए बयान से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया:

> "निष्कर्ष यह है कि, हमारे दृष्टिकोण से, अधिनियम की धारा-13(1)(i-a) के तहत विचारित क्रूरता न तो पुराने अंग्रेजी सिद्धांत के खतरे को आकर्षित करती है और न ही पुरानी धारा 10(1)(b) में निहित कानूनी सीमाओं को। विचारित क्रूरता ऐसे आचरण की है कि याचिकाकर्ता वाजिब रूप से प्रतिवादी के साथ रहने की उम्मीद नहीं कर सकता; और, इसलिए, मदन लाल फार्मा बनाम श्रीमती संतोष शर्मा[4] के मामले में निर्धारित कानून सही नहीं है।"

16) हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि पत्नी ने विवाह के बाद पति के साथ क्रूरता की है।

17) हमने पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन हम सफल नहीं हो सके। पति इतना पीड़ित महसूस कर रहा था कि वह किसी भी कीमत पर प्रतिवादी को अपने वैवाहिक घर में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यहां तक कि पत्नी ने लिखित बयान में यह भी कहा कि पति ने उसके मन में यह उचित आशंका पैदा कर दी है कि उसके साथ रहना उसके लिए चोटिल और हानिकारक होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है।

---

[3] ए.आई.आर. 1984, बॉम्बे 413 (एफ.बी.)

[4] 1980 मह. एल.जे. 391.

18) पार्टियों की विवाह से दो संतानें हैं। हमने उन्हें बुलाया और उनसे मिलने के बाद हमने पाया कि उनके पति उनकी अच्छी देखभाल करते थे।

19) परिस्थितियों में, हमारे पास पति की याचिका के लिए तलाक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। एकल न्यायाधीश का निर्णय रद्द किया जाता है, और मुकदमे के न्यायाधीश का निर्णय बहाल किया जाता है। हालांकि, निर्णय से अलग होने से पहले, हम पत्नी के लिए स्थायी गुजारा भत्ता का प्रावधान करना चाहते हैं। वास्तव में पति उसे जीवन भर भत्ता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया था। तदनुसार, उसे उसके जीवनकाल तक भत्ता प्राप्त होगा, भले ही तलाक के डिक्री के बाद उसका पुनर्विवाह हो जाए। पति को आज से दो महीने के भीतर प्रतिवादी के नाम पर पटियाला राज्य बैंक, हाई कोर्ट शाखा, चंडीगढ़ में 1,20,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाता है। जमा पहले तीस वर्षों के लिए या पत्नी के जीवनकाल तक, जो भी बाद में हो, फिक्स्ड डिपॉजिट में की जाएगी। यह राशि प्रति महीने 1,000 रुपये का ब्याज पैदा करेगी जो उसे दिया जाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर संशोधित की जाती है और यह प्रति महीने 1,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो वही उसे दिया जाएगा। उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर यदि पत्नी जीवित है, तो राशि समान शर्तों और शर्तों पर और बीस वर्षों तक जमा रहेगी। पत्नी को मूल राशि या उसके किसी भाग को निकालने का हक नहीं होगा। उसकी मृत्यु पर, मूल राशि दो बच्चों या उनके वारिसों को समान हिस्सों में बंट जाएगी। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी